

न्यायिक नयुक्तियों में सुधार का आह्वान

यह एडिटरियल 02/08/2024 को 'द हिंदू' में प्रकाशित [“Reforming the process of judicial appointments”](#) लेख पर आधारित है। इसमें भारत की कॉलेजियम प्रणाली पर जारी बहस पर विचार किया गया है, जहाँ इससे संबद्ध पारदर्शिता एवं जवाबदेही के मुद्दों को उजागर किया गया है। लेख में वर्ष 2015 में NJAC के विघटन के परिप्रेक्ष्य में सुधार लाने से जुड़ी कठिनाइयों की भी चर्चा की गई है।

प्रलिस के लिये:

[अनुच्छेद 124\(2\) और 217\(1\)](#), [राष्ट्रीय न्यायिक नयुक्ति आयोग](#), [सर्वोच्च न्यायालय](#), [प्रथम न्यायाधीश मामले](#), [राष्ट्रीय न्यायिक नयुक्ति आयोग](#), [भारत का वधि आयोग](#), [संसदीय स्थायी समिति](#), [विभिन्न देशों में न्यायिक नयुक्ति तंत्र](#)

मेन्स के लिये:

भारत में कॉलेजियम प्रणाली के पक्ष और विपक्ष में तर्क।

भारत में न्यायिक नयुक्तियों—जो [अनुच्छेद 124\(2\) और 217\(1\)](#) के संवैधानिक उपबंधों द्वारा शासित हैं, पर जारी बहस वर्तमान [कॉलेजियम प्रणाली \(collegium system\)](#) की सीमाओं को रेखांकित करती है। न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिये अभिकल्पित किये जाने के बावजूद, इस प्रणाली की पारदर्शिता, जवाबदेही की कमी और [भाई-भतीजावाद \(nepotism\)](#) के प्रति संवेदनशीलता ने गंभीर आलोचनाएँ आमंत्रित की हैं। [राष्ट्रीय न्यायिक नयुक्ति आयोग](#) (National Judicial Appointments Commission- NJAC), जिसका उद्देश्य बहु-हतिधारक दृष्टिकोण के माध्यम से इन चिंताओं को दूर करना था, [दुर्भाग्य से वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा](#) नरिस्त कर दिया गया था।

यू.के., दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस जैसे अन्य देशों में न्यायिक नयुक्ति प्रणालियों, जहाँ विभिन्न हतिधारकों को संलग्न करने वाले आयोग मौजूद हैं, के परीक्षण से प्रकट होता है कि भारत को भी इसी तरह के मॉडल से लाभ मिल सकता है। सभी संबंधित पक्षों से प्राप्त सुझावों को शामिल करते हुए [एक्सशेडिटी NJAC का गठन न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन का निर्माण कर सकता है](#), जिससे नयुक्ति प्रक्रिया अधिक तेज़ और पारदर्शी बन सकती है। यह भारत में विलंबित न्याय की दीर्घकालिक समस्या को दूर करने और न्यायपालिका में आम लोगों के विश्वास की पुनर्बहाली में यह सहायक सिद्ध होगा।

कॉलेजियम प्रणाली समय के साथ किस प्रकार विकसित हुई है?

- [प्रथम न्यायाधीश मामले \(First Judges Case\), 1982](#): एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (जिसमें प्रथम न्यायाधीश मामले के रूप में भी जाना जाता है) मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने नरिणय दिया कि न्यायिक नयुक्तियों में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के साथ 'परामर्श' को 'सहमति' नहीं माना जा सकता, जिसका अर्थ यह है कि संविधान के अनुसार CJI की राय प्रधानता नहीं रखती है।
 - नरिणय में आगे स्पष्ट किया गया कि उच्च न्यायालयों में नयुक्तियों के प्रस्ताव [अनुच्छेद 217](#) में उल्लिखित चार संवैधानिक प्राधिकारों में से किसी के द्वारा भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं, न कि केवल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा।
 - इस नरिणय ने न्यायिक नयुक्तियों में कार्यपालिका की भूमिका के पक्ष में संतुलन स्थापित किया और यह [अभ्यास अगले 12 वर्षों तक जारी रहा](#)।
- [द्वितीय न्यायाधीश मामले \(Second Judges Case\), 1993](#): सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले (जिसमें द्वितीय न्यायाधीश मामले के रूप में भी जाना जाता है) में [सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने 7:2 के बहुमत से प्रथम न्यायाधीश मामले के नरिणय को नरिस्त कर दिया](#)।
 - न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों की नयुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की प्राथमिक भूमिका होनी चाहिये।
 - इसने 'परामर्श' का अर्थ 'सहमति' माना, जिससे कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना हुई।
 - यह प्रणाली न्यायिक नयुक्ति प्रक्रिया में व्यक्तिगत राय के बजाय मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सामूहिक राय पर निर्भर करती है।
- [तृतीय न्यायाधीश मामले \(Third Judges Case\), 1998](#): संविधान के [अनुच्छेद 143](#) के अंतर्गत प्रेसिडेंशियल रेफरेंस (Presidential reference) के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने द्वितीय न्यायाधीश मामले में लिये गए नरिणय की पुनः पुष्टि की।

- न्यायालय ने कहा कि न्यायिक नयुक्तियों की अनुशंसा भारत के **मुख्य न्यायाधीश (CJI)** द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से की जानी चाहिये।
- इस नरिणय ने **कॉलेजियम प्रणाली को दृढ़ता** से स्थापति कयि, जहाँ न्यायिक नयुक्तियों के मामलों में मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीशों की सामूहिक राय सरकार के लयि बाध्यकारी हो गई।
- **मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (Memorandum of Procedure- MoP):** कॉलेजियम प्रणाली की तरह MoP भी एक न्यायिक नवाचार है, जसि द्वितीय एवं तृतीय न्यायाधीश मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के नरिदेशानुसार वधि और न्याय मंत्रालय द्वारा तैयार कयि गया है।
 - इसमें उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नयुक्ति की प्रकरयि का उल्लेख कयि गया है, जहाँ **सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों** की नयुक्ति के लयि अलग-अलग MoPs हैं।
 - वर्ष **2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार** को कॉलेजियम की कार्यवाही में पारदर्शति बढ़ाने के लयि MoP को संशोधति करने का नरिदेश दयि था।
 - हालाँकि, इसके कारण कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच **MoP के कुछ प्रावधानों** को लेकर एक वर्ष तक गतरिध बना रहा।
 - सरकार द्वारा MoP के अनुपूरण के लयि प्रस्ताव भेजे गए हैं, जो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के वचाराधीन है।
- **राष्ट्रीय न्यायिक नयुक्ति आयोग (National Judicial Appointments Commission- NJAC):** NJAC का प्रस्ताव भारतीय संवधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लयि गठति राष्ट्रीय आयोग (2002) की अनुशंसाओं पर कयि गया था।
 - UPA सरकार ने वर्ष **2013 में NJAC** वधियक पेश कयि था, लेकिन लोकसभा भंग होने के कारण यह वधियक वयपगत हो गया
 - NDA सरकार ने वर्ष 2014 में NJAC वधियक को पुनः प्रस्तुत कयि, जसिके परिणामस्वरूप **99वें संवधान संशोधन के अंतर्गत NJAC अधनियम, 2014** पारति हुआ।
 - NJAC में अधयकष के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ सदस्य के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीश, केंद्रीय वधि और न्याय मंत्री तथा दो ऐसे प्रतष्ठति वयक्त शामिल कयि जाने थे जनिहें प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में वपिष के नेता से गठति त्रसिदस्यीय समति द्वारा नामति कयि जाना था।
- **चतुर्थ न्यायाधीश मामला (Fourth Judges Case), 2015:** NJAC अधनियम और **99वें संवधान संशोधन** की संवधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जसिने **4:1 के नरिणय से इस अधनियम और संशोधन दोनों** को ही असंवधानिक घोषति कर दयि।
 - न्यायालय ने NJAC में अपर्याप्त न्यायिक प्रतनिधितिव के साथ ही कार्यकारी सदस्यों की संलग्नता पर चति वयक्त करते हुए तर्क दयि कयि कारक न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत और संवधान की 'मूल संरचना' का उल्लंघन करते हैं।



कॉलेजियम सिस्टम

- ◊ न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली
- ◊ सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ, न कि संसद के एक अधिनियम द्वारा

न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी संवैधानिक प्रावधान

- ◊ अनुच्छेद 124 (2) और 217- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति
 - ◊ राष्ट्रपति "सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों" से परामर्श करने के बाद नियुक्तियाँ करता है, जैसा कि वह आवश्यक समझे।
- ◊ लेकिन संविधान इन नियुक्तियों को करने के लिये कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है।

कॉलेजियम प्रणाली का विकास

- ◊ प्रथम न्यायाधीश मामला (1981):
 - ◊ इसने यह निर्धारित किया कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के सुझाव की "प्रधानता" को "ठोस कारणों" के चलते अस्वीकार किया जा सकता है।
 - ◊ इस निर्णय ने अगले 12 वर्षों के लिये न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी है।
- ◊ दूसरा न्यायाधीश मामला (1993):
 - ◊ सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट करते हुए कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की कि "परामर्श" का अर्थ वास्तव में "सहमति" है।
 - ◊ इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह CJI की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी।

तीसरा न्यायाधीश मामला (1998):

- ◊ राष्ट्रपति द्वारा जारी एक प्रेजिडेंशियल रेफरेंस (Presidential Reference) (अनुच्छेद 143) के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पाँच सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार किया, जिसमें CJI और उनके चार वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होंगे।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)

- ◊ यह कॉलेजियम प्रणाली को बदलने का एक प्रयास था। इसने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की
- ◊ NJAC की स्थापना 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 द्वारा की गई थी
- ◊ लेकिन NJAC अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया गया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने का हवाला देते हुए इसे रद्द कर दिया गया

आलोचना

- ◊ अपारदर्शिता
- ◊ भाई-भतीजावाद की गुंजाइश
- ◊ कार्यपालिका का बहिष्करण
- ◊ नियुक्ति की कोई पूर्व निर्धारित प्रक्रिया नहीं



भारत में कॉलेजियम प्रणाली के पक्ष में तर्क:

- **न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखना:** कॉलेजियम प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि न्यायाधीश अपने समकक्षों की नियुक्ति करें, जिससे न्यायपालिका की कार्यपालिका से स्वतंत्रता बनी रहती है।
 - इससे न्यायिक नरिण्यों में **राजनीतिक हस्तक्षेप** पर रोक लगती है, जिससे वधि के शासन की रक्षा होती है और नषिपक्ष न्याय सुनिश्चित होता है।
- **योग्यता और अनुभव को प्राथमिकता देना:** न्यायाधीशों का चयन उनकी योग्यता, अनुभव और न्यायिक कौशल के आधार पर किया जाता है।
 - **कॉलेजियम प्रणाली शैक्षणिक योग्यता** तक ही सीमा नहीं रहते हुए अन्य कारकों पर भी विचार करते हुए उम्मीदवारों के अधिक सूक्ष्म मूल्यांकन की अनुमति देती है।
 - इससे यह सुनिश्चित होता है कि सबसे योग्य और अनुभवी व्यक्तियों को ही उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए।
- **विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देना:** कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका के भीतर विविधता को बढ़ावा देने में सहायक रही है।
 - इसके परिणामस्वरूप **महिलाओं, हाशिये पर स्थिति समुदायों और भूभागों सहित** विभिन्न पृष्ठभूमियों से न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है।
 - इससे यह सुनिश्चित होता है कि न्यायपालिका भारतीय समाज की विविध प्रकृति को प्रतिबिंबित करती है तथा जनता का विश्वास बढ़ाती है।
 - उदाहरण के लिये, **भारत में किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश** के रूप में न्यायमूर्ति लीला सेठ की नियुक्ति समावेशिता के प्रति प्रणाली की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
 - इसके अलावा, **न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना वर्ष 2027** में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की ओर अग्रसर हैं।
- **संस्थागत स्मृति और निरंतरता सुनिश्चित करना:** कॉलेजियम प्रणाली, **वरिष्ठ न्यायाधीशों पर निर्भरता के साथ, संस्थागत स्मृति के संरक्षण और न्यायिक प्रथाओं एवं दृष्टांतों** की निरंतरता की अनुमति देती है।
 - यह भारत की जटिल वधिक प्रणाली में विशेष रूप से महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है, जहाँ कानूनों की व्याख्या और अनुप्रयोग प्रायः समय के साथ विकसित होते रहते हैं।
 - न्यायिक नियुक्तियों के प्रति एक सुसंगत दृष्टिकोण बनाए रखने की कॉलेजियम की क्षमता ने न्यायपालिका के भीतर सत्ता के सुचारु हस्तांतरण को, यहाँ तक कि राजनीतिक अस्थिरता या सरकार में परिवर्तन के दौरान भी, सुनिश्चित करने में मदद की है।

भारत में कॉलेजियम प्रणाली के विरुद्ध तर्क:

- **पारदर्शिता का अभाव:** कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना इसकी अपारदर्शी नरिणयन प्रक्रिया के लिये की जाती रही है, जहाँ **नियुक्तियों के लिये किसी सार्वजनिक संवीक्षा या औचित्य सिद्धि** करने का अवसर मौजूद नहीं है।
 - पारदर्शिता की यह कमी न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कमजोर कर सकती है और चयन प्रक्रिया की नषिपक्षता एवं अखंडता के बारे में चिंताएँ पैदा करती है।
 - कॉलेजियम प्रणाली की सबसे उल्लेखनीय वफिलताओं में से एक के रूप में **दिसंबर 2003 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में सोमतिर सेन की नियुक्ति** को देखा जा सकता है। कॉलेजियम ने उन्हें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया, जबकि उन पर दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच के विवाद में न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिवक्ता के रूप में कार्य करते समय धन के दुरुपयोग के आरोप थे।
- **‘अंकल जजज सिंड्रोम’ (Uncle Judges' Syndrome):** कॉलेजियम प्रणाली पर, इसके गोपनीय विचार-विमर्श और वरिष्ठ न्यायाधीशों पर निर्भरता के साथ, एक **संकुचित या द्वीपीय संस्कृति (insular culture) को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाता है, जो भाई-भतीजावाद (nepotism) और मतिर-वाद (cronyism) को बढ़ावा दे सकती है।**
 - ऐसी चिंताएँ व्यक्त की जाती कि योग्यता के बजाय **व्यक्तिगत संबंध और नषिटा न्यायाधीशों के चयन** में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
 - भारतीय वधि आयोग ने **वर्ष 2008 की रिपोर्ट में कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना की थी और इसमें भाई-भतीजावाद तथा नियंत्रण एवं संतुलन के अभाव के मुद्दों पर प्रकाश डाला था।**
- **विविधता और प्रतिनिधित्व का अभाव:** कॉलेजियम प्रणाली की न्यायपालिका के भीतर वृहत विविधता को बढ़ावा देने में वफिलता के लिये, विशेष रूप से लगे, जात एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के संदर्भ में, आलोचना की गई है।
 - कुछ विशेष **पृष्ठभूमियों से आने वाले वरिष्ठ न्यायाधीशों** के प्रभुत्व के परिणामस्वरूप ऐसी न्यायपालिका का निर्माण हो सकता है जो भारतीय जनसंख्या की विविधता को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं करेगी।
- **बाह्य नगरानी और परामर्श का अभाव:** कॉलेजियम प्रणाली किसी भी **बाह्य नगरानी या अन्य हतिधारकों (जैसे कि जनता, वधि विशेषज्ञ या नागरिक समाज संगठन)** से प्राप्त परामर्श या इनपुट के बिना संचालित होती है।
 - इसके परिणामस्वरूप **नरिणय लेने की प्रक्रिया व्यापक सामाजिक परिप्रेक्ष्य और चिंताओं से अछूती रह सकती है।**
 - **वधि एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति की वर्ष 2016** की रिपोर्ट में न्यायिक रक्तियों को भरने में होने वाले वलिंब पर चिंता व्यक्त की गई और अनुशांसा की गई कि न्यायिक नियुक्तियाँ एक सहभागी कार्य हो, जिसे न्यायपालिका एवं कार्यपालिका द्वारा संयुक्त रूप से नषिपादित किया जाना चाहिये।

विभिन्न देशों में न्यायिक नियुक्ति तंत्र की भिन्नताएँ:

- **संयुक्त राज्य अमेरिका**
 - **नियुक्ति प्रक्रिया:** संघीय न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की सलाह एवं सहमति से की जाती है।
 - **उम्मीदवारों का अमेरिकी बार एसोसिएशन** की एक समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और सीनेट मतदान से पहले सीनेट न्यायपालिका समिति द्वारा उनकी समीक्षा की जाती है।
 - **कार्यकाल:** न्यायाधीशों के लिये कोई निश्चित सेवानिवृत्ति आयु नहीं है; वे ‘अच्छे आचरण’ के आधार पर आजीवन पद पर बने रहते हैं।
- **यूनाइटेड किंगडम**
 - **नियुक्ति प्रक्रिया:** वर्ष 2009 में **यू.के. सुप्रीम कोर्ट की स्थापना** के बाद नियुक्ति प्रक्रिया **लॉर्ड चांसलर से न्यायिक नियुक्ति आयोग (Judicial Appointments Commission) में स्थानांतरित** कर दी गई।

- इस आयोग में सदस्य के रूप में बैरिस्टर, जज, साधारण प्रतिष्ठित व्यक्ति (laypeople), सॉलिसिटर और मजिस्ट्रेट शामिल होते हैं।
- यद्यपि, इस बदलाव के बावजूद लॉर्ड चांसलर के पास योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को अस्वीकार करने की शेष शक्ति बनी हुई है।

■ अन्य देश

- **कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और बर्निन अमेरिकी क्षेत्राधिकार:** ये देश एक स्वतंत्र न्यायिक न्युक्ती आयोग प्रणाली का उपयोग करते हैं, जो अपनी प्रभावशीलता के लिये प्रसिद्ध है।
- **आयरलैंड, इजरायल, न्यूजीलैंड और नीदरलैंड:** इन देशों ने न्यायाधीशों के चयन की देखरेख के लिये न्यायिक न्युक्ती समितियों स्थापति की हैं।

कौन-से सुधार मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली को बेहतर बना सकते हैं?

- **पारदर्शिता और जवाबदेही की वृद्धि:** जनता का विश्वास बढ़ाने के लिये **कॉलेजियम प्रणाली** को और अधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिये।
 - न्यायिक न्युक्तियों के लिये स्पष्ट दिशा-निर्देश और प्रक्रियाएँ स्थापति की जानी चाहिये और इस प्रक्रिया में सार्वजनिक परामर्श को भी शामिल किया जाना चाहिये।
 - इससे यह सुनिश्चित होगा कि न्यायपालिका लोगों के प्रति जवाबदेह है।
- **कार्यपालिका की संतुलित भूमिका:** जबकि न्यायपालिका को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिये, कार्यपालिका की भी न्यायिक न्युक्तियों में वृद्ध भूमिका होनी चाहिये।
 - न्यायपालिका, कार्यपालिका और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए संशोधित **NJAC न्यायिक स्वतंत्रता एवं जवाबदेही** के बीच संतुलन स्थापति कर सकता है।
 - इससे न्यायपालिका को अत्यधिक शक्तिशाली बनने से रोका जा सकेगा तथा यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि न्युक्तियाँ योग्यता और जनहित के आधार पर हों।
- **योग्यता आधारित न्युक्तियाँ:** कॉलेजियम प्रणाली को न्यायिक न्युक्तियों के लिये योग्यता आधारित मानदंडों का सख्ती से पालन करना चाहिये।
 - योग्यता, अनुभव और न्यायिक कौशल प्राथमिक विचारणीय बिंदु होने चाहिये।
 - इससे यह सुनिश्चित होगा कि सर्वाधिक सक्षम और योग्य व्यक्तियों को न्यायपीठ में न्युक्त किया जाएगा, जिससे न्यायपालिका की दक्षता एवं प्रभावशीलता बढ़ेगी।
- **समयबद्ध न्युक्तियाँ:** न्यायिक न्युक्तियों में विलंब की समस्या को दूर करने के लिये कॉलेजियम प्रक्रिया के लिये सख्त समयसीमा निर्धारित की जानी चाहिये।
 - इससे रक्तियों के **सुदीर्घ विलंबन को रोका जा सकेगा** और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि न्यायपालिका के पास पर्याप्त कार्यबल मौजूद है तथा वह मुकदमों का भार कुशलतापूर्वक संभाल सकती है।
- **सार्वजनिक भागीदारी:** न्यायपालिका को न्यायिक न्युक्ती प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सार्वजनिक परामर्श भी ग्रहण करना चाहिये।
 - यह **सार्वजनिक परामर्श ऑनलाइन मंचों और फीडबैक तंत्र** के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
 - सार्वजनिक जन भागीदारी से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि न्यायपालिका अपने लोगों की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के प्रति उत्तरदायी है।

नष्कर्ष

भारत में न्यायिक न्युक्तियों पर जारी बहस पारदर्शिता, जवाबदेही और विलंबन के मुद्दों को हल करने के लिये कॉलेजियम प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। NJAC को संशोधित करने या इसी तरह के सुधारों को अपनाने से इन चुनौतियों को हल करने और न्यायपालिका के समग्र कार्यकरण में सुधार लाने में मदद मिल सकती है।

अभ्यास प्रश्न: भारत में न्यायिक न्युक्तियों की कॉलेजियम प्रणाली के विकास एवं प्रभाव पर चर्चा कीजिये। न्यायिक स्वतंत्रता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न. भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से वापस बैठने और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिये बुलाया जा सकता है।
2. भारत में उच्च न्यायालय के पास अपने निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2

- (c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

?????:

प्रश्न. भारत में उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2017)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/a-call-for-reform-in-judicial-appointments>

